

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

आधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 201] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 16, 1973/श्रावण 25, 1895

No. 201] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 1973/SRAVANA 25, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 16th August 1973

G.S.R. 394(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 18-Customs, dated the 12th February, 1973, namely:—

In the said notification, after the word "Tunisia", in the two places where it occurs, the words "or the Arab Republic of Egypt" shall be inserted.

[No.118/F. No. 363/6/72-Cus.I(Pt).]

S. NARAYANAN, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1973

सा० का० नि० 394 (अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 18-सीमा-शुल्क, तारीख 12 फरवरी, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में “ट्यूनिसिया” शब्द, जहां भी वह दो स्थानों पर आया है, के पश्चात् “या अरब रिपब्लिक आफ ईजिप्ट” शब्द जोड़ जायेंगे।

[सं० 118 / फा० सं० 363 / 6/72-सी० शु० I (भाग)]

एस० नारायणन्, उप सचिव।